210

संख्या — /XXXVI(1)/2012–43 एक(1)/2003

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला चैक अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 10 अप्रैल, 2013

विषय– अपर महाधिवक्ता (उत्तराखण्ड), मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को अनुमन्य फीस दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–07/XXXVI(1)/(एक) 2008–43–एक (1)/2003 दिनांक 07.01.2008 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली हेतु आबद्ध किये जाने वाले अपर महाधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दरों पर फीस दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1	रिटेनर फीस नियत	₹ 22,000/– (₹ बाईस हजार मात्र) प्रति माह
2	पुस्तकालय भत्ता	₹ 1,500/– (₹ एक हजार पांच सौ मात्र) प्रति माह
3	मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य सरकार का समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमन्य फीस (चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)	₹ 15,000/– (₹ पन्द्रह हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–03–महाधिवक्ता–00–16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः–2

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 07 NP/XXVII(5)/13-14 दिनांक 05.04.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या–1241/XXXVI(1)/2013–43 एक(1)/2003 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4– महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5– समस्त अपर महाधिवक्ता (उत्तराखण्ड), मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव